



श्रमेव जयते

श्रम विभाग, उत्तराखण्ड

श्रमायुक्त - संगठन

मैनुअल - 13

श्रमायुक्त-संगठन के अधीन विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत
पंजीकरण अनुज्ञापत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्तकर्ताओं
के संबंध में विवरण

मैनुअल-13

रियायतों, अनुज्ञापत्रों तथा
प्राधिकारियों के प्राप्त कर्ताओं

132-134

रियायतों, अनुज्ञापत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्तकर्ताओं के सम्बन्ध में विवरण

श्रम विभाग द्वारा विभिन्न श्रम अधिनियमों के प्रवर्तन का कार्य सुनिश्चित किया जाता है, जिनमें से निम्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत पंजीयन एवं पंजीकरण के नवीनीकरण अथवा लाईसेंसिंग की व्यवस्था है:-

क्र०	अधिनियम का नाम	पंजीकरण / लाईसेंसिंग का विवरण एवं अवधि
1	उत्तरांचल दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962	अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचित समस्त स्थानीय निकायों में स्थित दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठानों द्वारा एक बार में 5 वित्तीय वर्ष के लिये पंजीकरण/नवीनीकरण किया जाना अनिवार्य है।
2.	कारखाना अधिनियम, 1948	कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत यथापरिभाषित कारखानों, जिनमें शक्ति की सहायता से उत्पादनरत तथा 10 या 10 से अधिक एवं बिना शक्ति के 20 या 20 से अधिक कर्मकार तथा विशेष अधिसूचनाओं के अन्तर्गत आवर्त अन्य कारखानों के द्वारा वार्षिक (कैलेण्डर वर्ष) पंजीकरण/ नवीनीकरण किया जाना है तथा उसके बार प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण की व्यवस्था है।
3.	भारतीय ब्वायलर अधिनियम, 1923	कारखानों में स्थित ब्वायलर का वार्षिक पंजीकरण तथा तत्पश्चात् वार्षिक नवीनीकरण किया जाना है।
4.	मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961	2 या 2 से अधिक मोटर परिवहन कर्मकारों को नियोजित करने वाले मोटर परिवहन प्रतिष्ठानों द्वारा कर्मकारों के द्वारा वार्षिक पंजीकरण/नवीनीकरण कराया जाना है।
5.	संविदा श्रम (विनियम तथा उत्सादन) अधिनियम, 1970	इस अधिनियम के अन्तर्गत 20 या 20 से अधिक संविदा श्रमिक नियोजित करने वाले मुख्य सेवायोजकों द्वारा अपने प्रतिष्ठानों का पंजीकरण (केवल एक बार) तथा 20 या 20 से अधिक संविदा श्रमिक नियोजित करने वाले संविदाकारों द्वारा अपने प्रतिष्ठान का लाईसेंसिंग वार्षिक रूप से कार्य के प्रारम्भ से कार्य की समाप्ति तक किया जाना है।
6.	अन्तर्राष्ट्रियक प्रवासी कर्मकार	प्रत्येक प्रतिष्ठान जिसमें पिछले 12 महीनों में किसी भी दिन अधिनियम, 1979 5 या 5 से अधिक अन्तर्राष्ट्रियक

		प्रवासी कर्मकारो नियोजित किये गये हों, को पंजीकरण किया जाना आवश्यक है। इसी प्रकार प्रत्येक ठेकेदार जो पिछले 12 महीनों में किसी भी दिन 5 या 5 से अधिक प्रवासी श्रमिक नियोजित करता हो, उसे लाईसेंस प्राप्त करना है। पंजीकरण कार्य प्रारम्भ होने की तिथि से केवल एक बार किया जाना है तथा ठेकेदार द्वारा लाईसेंस कार्य प्रारम्भ होने से एक साल के लिये वैध रहेगा, जिसे समय-समय पर एक वर्ष के लिये नवीनीकृत किया जायेगा।
7.	ट्रेड यूनियन्स एक्ट , 1926	किसी प्रतिष्ठान/उद्योग में नियोजित 7 कर्मकार ट्रेड यूनियन के पंजीकरण हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि प्रतिष्ठान अथवा उद्योग में कार्यरत 100 कर्मकार अथवा कुल नियोजित कर्मकारों के 10 प्रतिशत कर्मकार यूनियन के सदस्य हों। यूनियन का पंजीकरण किये जाने के पश्चात् कार्यकारिणी के चुनाव आमतया: प्रत्येक वर्ष हेतु पंजीकृत किये जाने का प्रावधान है।

नोट:- उक्त सभी अधिनियमों के अन्तर्गत पंजीकरण/नवीनीकरण हेतु पात्रता, प्रक्रिया, समयावधि, प्रार्थनापत्र का प्रारूप, लाईसेंस की प्रक्रिया निर्धारित प्रारूप, देय शुल्क नवीनीकरण तथा विहित प्राधिकारी/ लाईसेंसिंग अधिकारी आदि का विवरण मैनुअल-3 में सविस्तार अंकित किया गया है।

श्रम आयुक्त संगठन के अन्तर्गत प्रत्येक जिले एवं ब्लाक स्तर पर श्रम कार्यालय स्थापित नहीं हैं, आवश्यकतानुसार जिले एवं तहसील स्तर पर श्रम कार्यालयों की स्थापना की गई। मुख्य कार्यालय तथा विभिन्न स्तरों पर श्रम कार्यालय निम्नवत हैं-

- 1- श्रम आयुक्त-मुख्यालय, हल्द्वानी (नैनीताल)
- 2- अपर श्रम आयुक्त, देहरादून
- 3- उप श्रम आयुक्त, कुमायूँ क्षेत्र, हल्द्वानी
- 4- उप श्रम आयुक्त, गढ़वाल क्षेत्र, देहरादून
- 5- उप निदेशक, कारखाना / ब्यायलर, - मुख्यालय, हल्द्वानी
- 6- सहायक निदेशक कारखाना / ब्यायलर, देहरादून
- 7- सहायक श्रम आयुक्त, रूद्रपुर (उधमसिंहनगर)
- 8- सहायक श्रम आयुक्त, हरिद्वार
- 9- सहायक श्रम आयुक्त, ऋषिकेश
- 10- सहायक श्रम आयुक्त, अल्मोड़ा
- 11- श्रम प्रवर्तन अधिकारी, कोटद्वार
- 12- श्रम प्रवर्तन अधिकारी, गोपेश्वर
- 13- श्रम प्रवर्तन अधिकारी, रूद्रप्रयाग
- 14- श्रम प्रवर्तन अधिकारी, उत्तरकाशी
- 15- श्रम प्रवर्तन अधिकारी, रूड़की
- 16- श्रम प्रवर्तन अधिकारी, टिहरी
- 17- श्रम प्रवर्तन अधिकारी, नैनीताल
- 18- श्रम प्रवर्तन अधिकारी, रामनगर
- 19- श्रम प्रवर्तन अधिकारी, टनकपुर
- 20- श्रम प्रवर्तन अधिकारी, बाजपुर
- 21- श्रम प्रवर्तन अधिकारी, काशीपुर
- 22- श्रम प्रवर्तन अधिकारी, किच्छा
- 23- श्रम प्रवर्तन अधिकारी, खटीमा
- 24- श्रम प्रवर्तन अधिकारी, पिथौरागढ़